संख्या-101/2021/1727/26-3-2021-1(16)/2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 अगस्त 2021

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में कराये जा रहें विकास कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-135-36/स0क0/विकास/ एकीकृत-महराजगंज (61)/2021-22, दिनांक-24.06.2021,पत्रसंख्या-130-31/स0क0/विकास/एकीकृत(01)/2021-22,दिनांक-24.06.2021,पत्र संख्या-195-96/स0क0/विकास/एकीकृत-महराजगंज(210विविध)/2021-22,दिनांक-16.07.2021,पत्र संख्या-191-92/स0क0/विकास/एकीकृत/विविध(210)/2021-22, दिनांक-16.07.2021, पत्र संख्या-115-16/स0क0/ विकास/एकीकृत-गोरखपुर-77 एवं मथुरा-11/2021-22, दिनांक-22.06.2021 एवं पत्र संख्या-163-64/स0क0/ विकास/एकीकृत-महराजगंज (210)/2021-22, दिनांक-30.06.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों में कराये जा रहें विकास कार्यो (जिनका विवरण तालिका में उल्लिखित है) हेतु कुल आंकलित लागत के सापेक्ष प्राविधानित बजट रू0-2000.00 लाख (रू0 बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष कुल धनराशि रू0-1948.7 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ अडतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रसं	जनपद का नाम	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	कुल उपभोग	अवशेष वांछित धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	अन्तिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	महराजगंज	बृजमनगंज	पुरैना	सी0सी0रोड़ एवं नाली निर्माण	20.49	8.33	--	8.33	12.16	यू0पी0सिडको	11.552
2	संतकबीरनगर	हैसर बाजार	दुलमापुर	इण्टरलाकिंग का कार्य	32.25	7.50	--	7.50	24.75	यू0पी0सिडको	23.513
3	संतकबीरनगर	हैसर बाजार	आगापुर उर्फ दुलहरिया	सी0सी0रोड़ का निर्माण	34.02	7.50	--	7.50	26.52	यू0पी0सिडको	25.194
4	बलिया	गड़वार	चांदपुर	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग, पेवर्स ब्लाक का कार्य	37.34	9.74	--	7.66	27.60	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	26.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	मथुरा	राया	थोक वृन्दावनी	इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0 रोड	74.70	16.67	25.00	41.67	33.03	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	31.379
6	संतकबीरनगर	सेमरियांवा	बूधाकला	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	99.38	49.69	--	49.69	49.69	यू0पी0सिडको	47.206
7	संतकबीरनगर	सेमरियांवा	डारीडीहा	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	99.40	49.70	--	49.70	49.70	यू0पी0सिडको	47.215
8	संतकबीरनगर	सेमरियांवा	लहुरदेवा	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	99.53	49.765	--	49.765	49.765	यू0पी0सिडको	47.277
9	संतकबीरनगर	सेमरियांवा	डड़वा	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	99.64	49.82	--	49.82	49.82	यू0पी0सिडको	47.329
10	संतकबीरनगर	सेमरियांवा	उमिला	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	99.79	49.895	--	49.895	49.895	यू0पी0सिडको	47.4
11	बलिया	चिलकहर	सहदेश	इण्टरलाकिंग, पेवर्स ब्लाक का कार्य	61.5	9.74	--	8.22	51.76	यू0पी0सी0ए ल0डी0एफ0	49.172
12	मथुरा	मांट	बिबन्दपुर	इण्टरलाकिंग एवं सी0सी0रोड़	101.12	16.66	25.00	41.66	59.46	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	56.487
13	गोरखपुर	बांसगांव	लेडुआबारी	इण्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण	100.00	35.00	--	35.00	65.00	यू0पी0सिडको	61.75
14	मथुरा	नौहझील	पचहरा	सी0सी0रोड	112.21	16.67	25.00	41.67	70.54	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	67.013
15	महराजगंज	मिठौरा	पकडियार बुजुर्ग	सी0सी0रोड एवं इण्टरलाकिंग	112.92	9.74	22.584	32.324	80.596	यू0पी0सिडको	76.566
16	गोरखपुर	उरूवा	हुडरी	सम्पर्क मार्ग इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	126.50	11.67	33.33	45.00	81.50	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	52.725
17	बलिया	पन्दहा	राजस्व ग्राम धनेजा	सी0सी0रोड, इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण का कार्य	114.33	9.74	--	9.74	104.59	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	99.360
18	लखीमपुरखीरी	मोहम्मदी	बलमिया बड़खर	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	116.48	9.74	--	9.49	106.74	यू0पी0पी0 सी0एल0	101.403
19	लखीमपुरखीरी	मोहम्मदी	रामनगर कालोनी	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	117.06	9.74	--	9.41	107.32	यू0पी0पी0 सी0एल0	101.954
20	महराजगंज	बृजमनगंज	डकही	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	118.24	8.34	--	8.34	109.90	यू0पी0सिडको	104.405

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	महराजगंज	फरेन्दा	कैथवलिया सर्वजीत	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	123.21	8.33	--	8.33	114.88	यू0पी0सिडको	109.136
22	गोरखपुर	उरूवा	बुधनापार	सम्पर्क मार्ग एवं नाली निर्माण।	179.49	11.66	33.33	44.99	134.50	यू0पी0सी0 एल0डी0एफ0	101.175
23	महराजगंज	बृजमनगंज	लौकही	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	20.158	8.33	--	8.33	149.87	यू0पी0सिडको	142.377
24	महराजगंज	बृजमनगंज	विश्रामपुर	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	158.44	8.34	--	8.34	150.10	यू0पी0सिडको	142.595
25	लखीमपुरखीरी	मोहम्मदी	रामपुर मिश्र	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	204.14	9.74	--	9.53	194.40	यू0पी0पी0 सी0एल0	184.68
26	बस्ती	बस्ती सदर	रेवली	इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण	211.96	9.74	--	9.74	202.22	यू0पी0सिडको	43.617
27	महराजगंज	नौतनवा	शेष फरेन्दा	इण्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण	465.55	9.74	--	9.74	455.81	यू0पी0पी0 सी0एल0	100.00
	योग								**2612.116**		**1948.7**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा तालिका में उल्लिखित कार्यदायी संस्था/संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था/संस्थाओं को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था/संस्थाओं को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में 04 माह में पूर्ण करा लिया जाए। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था/संस्थाओं द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था/संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8)-प्रश्नगत कार्यो में शासनादेश संख्या-1099/26-3-2020 दिनांक-27.04.2020 के अन्तर्गत भुगतान थर्ड पार्टी जांच/सम्परीक्षा के बाद ही किया जाय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(9)-तालिका के क्रमांक-26 एवं 27 में उल्लिखित परियोजनाओं के कार्य निर्गत धनराशि के सापेक्ष पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगें तथा शेष परियोजनाओं की अवशेष धनराशि (अवशेष वांछित धनराशि का 05 प्रतिशत) को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त की जायेगी। प्रकरण में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो शासन को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अधीन जारी की जा रही है।

कृपया इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक

प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-101/2021/1727(1)/26-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, महराजगंज/सन्तकबीरनगर/बलिया/मथुरा/गोरखपुर/ लखीमपुरखीरी/बस्ती, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

3-निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।

4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5-प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यू0पी0सिडको)।

6-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)।

7-प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ (यू0पी0पी0सी0एल0)।

8-निदेशक, एन0आई0सी0।

9-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण,उ0प्र0लखनऊ।

10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in